"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352] रायपुर, शनिवार दिनांक 31 दिसम्बर 2011—पौष 10, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 144/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1949.—दिनांक 22 दिसम्बर 2011 को नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग. के 06 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषि. किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-144/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. उमाशंकर शुक्ला, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग.
2. श्रीमति डाली दासगुप्ता, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग.
3. श्रीमति नजमा बेगम, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग.
4. शेख नशीम कुरैशी, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग.
5. राजेश तिवारी, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग.
6. शेख सलीम रजा, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 22 दिसम्बर 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बस्तर के प्रतिवेदन दिनांक 4 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम जगदलपुर के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन में कुल 8 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बस्तर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2010 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक निगम जगदलपुर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से उमाशंकर शुक्ला, श्रीमति डाली दासगुप्ता, श्रीमति नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, श्री राजेश तिवारी एवं शेख सलीम रजा द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बस्तर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों उमाशंकर शुक्ला, श्रीमति डाली दासगुप्ता, श्रीमति नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, श्री राजेश तिवारी एवं शेख सलीम रजा को कारण बताओ सूचना दिनांक 5 मार्च 2010 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, शेख सलीम रजा को दिनांक 9 जुलाई 2010 को तथा अभ्यर्थी राजेश तिवारी को दिनांक 10 जुलाई 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी उमाशंकर शुक्ला तथा श्रीमति डाली दासगुप्ता को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील नहीं होने के कारण पुनः कारण बताओ सूचना दिनांक 27 जनवरी 2011 को जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. अभ्यर्थियों श्रीमति डाली दासगुप्ता, श्रीमति नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, श्री राजेश तिवारी एवं शेख सलीम रजा को उक्त कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थियों श्रीमति डाली दासगुप्ता, श्रीमति नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, श्री राजेश तिवारी एवं शेख सलीम रजा को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अभ्यर्थी उमाशंकर शुक्ला द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 15 फरवरी 2011 को आयोग में प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से दिनांक 16 दिसम्बर 2010 तक अर्थराइटस से पीड़ित होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में दाखिल नहीं कर पाया. स्वास्थ्य में आंशिक सुधार होते ही दिनांक 17 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल कर दिया. परिस्थितिजन्य कारणों से निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में विलम्ब हुआ है. अतएव उनका

आवेदन स्वीकार किया जावे. अभ्यर्थी उमाशंकर शुक्ला द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बस्तर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बस्तर ने अपने ज्ञापन क्रमांक 254, दिनांक 28 जून 2011 में यह उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी उमाशंकर शुक्ला द्वारा विलंब से दिनांक 17 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में बीमार रहने की उल्लेखित अवधि में भिन्नता है. अभ्यर्थी ने अपने जवाब में अस्वस्थ रहने की अवधि दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से 16 दिसम्बर 2010 का उल्लेख किया है. जबकि चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की अस्वस्थता की अवधि दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से 16 फरवरी 2010 का उल्लेख है. अभ्यर्थी उमाशंकर शुक्ला को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाकर उन्हें दिनांक 17 नवम्बर 2011 को सुना गया तथा उनका शपथपूर्वक कथन लिया गया जिसमें दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से 16 फरवरी 2010 तक अस्वस्थ होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से दिनांक 17 फरवरी 2010 को दाखिल करना स्वीकार किया तथा विलंब के लिए क्षमा चाहा.

4. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बस्तर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों उमाशंकर शुक्ला, श्रीमती डाली दासगुप्ता, श्रीमति नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, श्री राजेश तिवारी एवं शेख सलीम रजा ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा**—(1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा यां तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था. यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बस्तर ने अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2010 का उल्लेख किया गया.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बस्तर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम जगदलपुर के महापौर पद के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी उमाशंकर शुक्ला द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विलंब से दिनांक 17 फरवरी 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. उक्त निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी अर्थात् जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया. लेकिन अभ्यर्थी दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से 16 फरवरी 2010 तक अर्थराइटस से पीड़ित रहा. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र से विदित होता है कि दिनांक 29 दिसम्बर 2009 से 16 फरवरी 2010 तक अस्वस्थ रहने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं कर सके थे. इस स्थिति में समयावधि में व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफलता के लिए अभ्यर्थी के पास यथोचित कारण होने का मानना न्यायसंगत होगा क्योंकि स्वस्थ होते ही अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल कर दिया गया. तदनुसार उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है. अभ्यर्थियों श्रीमति डाली दासगुप्ता, श्रीमति नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, श्री राजेश तिवारी एवं शेख सलीम रजा ने अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण श्रीमति डाली दासगुप्ता, श्रीमति नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, श्री राजेश तिवारी एवं शेख सलीम रजा प्रश्नाधीन

निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों श्रीमति डाली दासगुप्ता, श्रीमति नजमा बेगम, शेख नशीम कुरैशी, श्री राजेश तिवारी एवं शेख सलीम रजा को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्य नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिये नगर पालिक निगम के महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 22 दिसम्बर 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.